



2026:AHC: 58521

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2323/2025

गुड्डू

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: सुदीप द्विवेदी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, विवेक कुमार यादव

**न्यायालय संख्या- 85**

**माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह**

- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदीप द्विवेदी के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
- वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षण को स्वीकार करने और विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय प्रथम, जौनपुर द्वारा आपराधिक वाद संख्या 1845 वर्ष 2019, (रीमा देवी और एक अन्य बनाम गुड्डू), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2025 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
- चूँकि पुनरीक्षणकर्ता और विपक्षी संख्या 2 क्रमशः पति और पत्नी हैं और उनके बीच का विवाद वैवाहिक प्रकृति का था, इसलिए इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आदेश दिनांक 01.08.2025 के माध्यम से वाद को उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद को भेजा गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आज मामला पेश किये जाने पर, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुसरण में, दोनों पक्षकार उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित हुए और दोनों पक्षकारों ने 05.02.2026 को मध्यस्थता केंद्र के समक्ष अंतिम निपटान करार कर लिया है। अंतिम निपटान करार दिनांक 05.02.2026 की प्रमाणित प्रति भी वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण की आदेश-पत्रिका के साथ अभिलेख पर लाई गई है।

5. सुलभ संदर्भ के लिए, अंतिम निपटान करार का प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 7 नीचे उद्धृत है:

"(क) यह कि अंतरिम निपटान करार दिनांक 16.10.2025 के अनुसरण में, दोनों पक्षकार उपस्थित हुए और कहा कि वे सभी पिछले विवादों और मतभेदों को भूलकर पति-पत्नी के रूप में पूर्ण सौहार्द के साथ एक साथ रह रहे हैं और वे इस पुनर्मिलन से पूरी तरह संतुष्ट हैं और आगे वे इसे अपने शेष जीवन तक जारी रखना चाहते हैं।

(ख) यह कि वे किसी भी रूप में एक-दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रूरता न करने का वचन भी देते हैं।

(ग) यह कि पति और पत्नी वचन देते हैं कि वे ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसी भी पक्षकार को मानसिक या शारीरिक रूप से ठेस पहुंचे और अपने कार्यों से एक-दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे।

(घ) यह कि पति अपनी पत्नी और पुत्र की देखभाल करने तथा भविष्य में उन्हें सभी आवश्यक आवश्यकताएं और सुख-सुविधाएं प्रदान करने का वचन देता है।

(ड) यह कि दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि उनके एक-दूसरे के विरुद्ध कोई अतिरिक्त दावे या दायित्व नहीं हैं और वे धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आपराधिक मामला संख्या 1845 वर्ष 2019, (रीमा देवी और एक अन्य बनाम गुड्डू), जिससे आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2323 वर्ष 2025 उत्पन्न हुआ है, के वर्तमान विवाद से संबंधित किसी भी मुकदमे को किसी भी रूप में नहीं लड़ने का वचन देते हैं।

(च) यह कि दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि वर्तमान निपटान करार करने के बाद, पक्षकारों के बीच इसके पश्चात् एक-दूसरे के साथ कोई विवाद नहीं है और वे किसी भी रूप में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मुकदमेबाजी जारी नहीं रखना चाहते हैं तथा वर्तमान प्रकरण के संबंध में कोई अन्य मुकदमा संस्थित न करने का वचन देते हैं।

(छ) यह कि पक्षकारों के बीच यह भी सहमति हुई है कि वर्तमान वैवाहिक विवाद के संबंध में उनके द्वारा एक-दूसरे या उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दाखिल सभी सिविल और आपराधिक मामले भी संबंधित पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष उचित कदम उठाकर वापस ले लिए जाएंगे।"

6. उपरोक्त निपटान करार के दृष्टिगत, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निपटान करार में दर्ज दोनों पक्षकारों के इस बयान का संदर्भ देते हुए कि इस करार पर हस्ताक्षर करके इसके पक्षकार यह कहते हैं कि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2323 वर्ष 2025 वाले वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण के संबंध में एक-दूसरे के विरुद्ध उनका कोई अतिरिक्त दावा नहीं है और इस संबंध में सभी विवादों तथा मतभेदों को इसके पक्षकारों द्वारा सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, प्रस्तुत किया कि पूर्वोक्त आपराधिक वाद की संपूर्ण कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा रद्द की जा सकती हैं।

7. विद्वान ए.जी.ए. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का खंडन नहीं कर सके।

8. यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:

1. बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य; (2003) 4 एस.सी.सी. 675,
2. निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो; (2008) 9 एस.सी.सी. 677, 3. मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य; (2008) 16 एस.सी.सी. 1, 4. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012) 10 एस.सी.सी. 303, 5. नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एस.सी.सी. 466, और 6. रामगोपाल और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य; 2021 लीगल ईगल (एस.सी.) 569.

9. पूर्वोक्त निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कुछ संज्ञेय और अशमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के बीच समझौता किया जा सकता है।

10. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए, न्यायालय का यह सुविचारित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मत है कि उपर्युक्त आपराधिक वाद की कार्यवाहियों को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि पक्षकारों ने अपना विवाद पहले ही सुलझा लिया है।

11. तदनुसार, विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय प्रथम, जौनपुर द्वारा आपराधिक वाद संख्या 1845 वर्ष 2019, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.02.2025 को, एतद्वारा रद्द किया जाता है।

12. तदनुसार, यह आपराधिक पुनरीक्षण **स्वीकार** किया जाता है।

13. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

**20 मार्च, 2026**

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”